उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या– 47/2025/542/छप्पन-2025-31/2016(Stage-2)ए

लखनऊ; दिनांक: 02 मई, 2025

अधिसूचना

चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 106/2024/2050/छप्पन-2024-31/2016(स्टेज-2)ए दिनांक 30 दिसम्बर, 2024, ग्राम जेवर बांगर, सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, तिरथली, धनपुरा व मेंहदीपुर बांगर; परगना जेवर, तहसील जेवर, जिला गौतमबुद्ध नगर में लोक प्रयोजन अर्थात् ''विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र की परियोजना (पी.ए.एफ.एस)'' के लिए कुल 189.7622 हैक्टेयर भूमि विस्थापित परिवारों जिनकी भूमि नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नोडल एजेन्सी यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के माध्यम से नॉएडा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) के विकास हेतु अर्जित की गई है, के व्यवस्थापन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई थी और अन्ततः दिनांक 03 जनवरी, 2025 को प्रकाशित की गई थी एवं उक्त परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ उप कलैक्टर, जेवर को प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अत:, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन उपबन्ध के अनुसरण में प्रस्तुत कलैक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ''क'' में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल, उपरिलिखित लोक प्रयोजन हेतु आवश्यक है।

राज्यपाल, अग्रतर, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन जिला गौतमबुद्ध नगर के कलैक्टर को इस आशय की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित करने के लिए निदेश देते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अधीन भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किए जाने वाला क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	जेवर बांगर	212	0.0940
				213	0.1510
				214	0.2760

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

				215	0.3500
				216	0.4520
				217	0.5400
				218	0.3390
				221	1.1000
				224	1.1076
				225	1.0024
				344	0.6250
				345	0.3620
				346	0.3540
				347	0.3530
				348	0.0660
				349	0.0260
				350	0.0220
				351	0.0336
				354	0.9950
				355	0.9850
				357	0.6000
				371	0.2100
				372	0.0500
				373	0.0700
				374	1.2900
				376	0.2010
				377	0.2010
				378	0.2010
				379	0.2010
				380	0.1720
				381	0.1700
				382	0.0860
				383	0.1500
				384	0.2000
				398	0.0840
				योग	**13.1196**
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर	36	0.9000
				37	1.8360
				39	1.0180
				42	1.7170
				43	1.5110
				44	4.2400
				47	1.2360
				48	0.7170
				49	1.1520
				51	0.7566
				54	0.5524

http://shasanadesh.up.gov.in

				55	0.3100
				56	0.6100
				57	0.6100
				58	4.5300
				59	2.7370
				62	0.7270
				63	2.0740
				64	1.7200
				65	1.8330
				66	1.0920
				69	1.4350
				71	1.7120
				73	3.0000
				74	0.0760
				75	2.5645
				78	2.1370
				79	0.7650
				81	2.4020
				110	0.5500
				112	0.3540
				114	2.2350
				116	1.3000
				117	0.7550
				119	1.0090
				120	0.6580
				121	0.3570
				123	0.3260
				124	1.6760
				125	0.7870
				126	1.6570
				128	3.8070
				129	2.0390
				योग	**63.4805**
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	फलैदा बांगर	442/1	0.0590
				442/2	0.0590
				442/3	0.0590
				443	0.4220
				462	0.4830
				465	0.4580
				466	0.4670
				467	0.0760
				469	0.7540
				470	0.5730
				472	0.6850
				474	0.5690

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				475	0.0690
				477	0.1760
				478	0.3260
				479	0.0980
				481	0.8210
				483/2	0.8110
				483/3	1.0640
				483/5	1.0640
				483/6	0.2530
				483/4/1	0.5320
				483/4/2	0.5320
				483/1/7	1.0650
				484	0.6610
				487	0.4410
				492	0.0140
				493	0.1770
				494	1.1570
				495	0.3600
				496	0.3600
				499	0.7600
				501	0.3860
				503	0.3870
				504	0.4700
				योग	**16.6480**
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	करौली बांगर	1	2.0520
				2ख	0.2150
				5	1.2330
				6	0.3098
				9क	0.4390
				9ख	1.6345
				12	3.2230
				13	0.5780
				14	2.5370
				15	0.1520
				20	3.6080
				29	0.4290
				32	0.2840
				34	0.2680
				36	0.1650
				37	0.1660
				41 मि	0.4013
				42 मि	1.1842
				43 मि	0.3375
				46 मि	0.7512
				47	0.9470

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				48	0.6800
				50	2.1340
				51	1.3610
				52	2.0100
				53	0.9610
				55 मि	0.0440
				56 मि	1.0808
				57	0.6180
				58	1.2940
				59	2.6860
				63	1.0000
				67 मि	0.0195
				68ब/1	0.6920
				102	0.0470
				योग	**35.5418**
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	तिरथली	222 मि0	0.2380
				224	0.2020
				योग	**0.4400**
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	धनपुरा	36	0.0860
				37	0.0800
				38	0.1250
				39	0.1720
				40	0.0890
				41	0.4440
				42	0.4100
				44मि	0.5060
				45	0.0860
				46/1	0.0610
				46/3	0.0200
				47	0.1770
				48	0.4270
				49	0.3380
				50	0.1920
				66 मि	1.4340
				67	0.4560
				70	1.2190
				86	0.2870
				88/162	0.1800
				88 मि	0.3470
				90	0.8130
				94	0.5660
				95	0.3640
				96	0.9200
				97	0.0770
				98	0.3460

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				99	0.4540
				101	0.2149
				103	1.9214
				104	0.0950
				105	0.3430
				106	0.4470
				107	0.5110
				108	0.5160
				109	0.3470
				110	2.7650
				112	1.5220
				113	1.5220
				114	0.9610
				115	0.3670
				117	3.2140
				118	2.7640
				120	0.6040
				122	0.3710
				123	1.0470
				125	0.2620
				126	0.2620
				127	0.2630
				128	0.2630
				130	0.4490
				131	0.9240
				132	0.0060
				133	0.4250
				135	0.9110
				136	0.4650
				137	1.8160
				149	0.0811
				152	0.1637
				153	0.1260
				155	1.2641
				157	1.9588
				159	1.4854
				161	1.2670
				योग	**42.6004**
गौतमबुद्धनगर	जेवर	जेवर	मेंहदीपुर बांगर	883	0.0695
				885	0.1710
				886	0.4170
				1068	0.2170
				1070	0.0945
				1071	0.1140
				1072	0.1390

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				1073	0.0890
				1074	0.3920
				1075	0.3790
				1076	0.2280
				1077	0.1140
				1078	0.1770
				1079	0.2910
				1080	0.3290
				1081	0.3540
				1082	0.0885
				1088	0.1770
				1094	0.2180
				1095	0.2040
				1096	0.2530
				1097	0.1455
				1098	0.4940
				1099	0.4300
				1100	0.4300
				1101	0.3160
				1102	0.3670
				1103	0.3540
				1104	0.5440
				1105	0.3540
				1106	0.4050
				1107	0.4430
				1108	0.5170
				1109	0.4680
				1110	0.1960
				1111	0.3160
				1112	0.2730
				1113	0.2530
				1114	0.2400
				1115	0.0820
				1116	0.0890
				1117	0.1010
				1118	0.3680
				1138	0.1390
				1142	0.5310
				1143	0.1520
				1320	0.2780
				1321	0.3119
				1323	0.4170
				1324	0.4050
				1325	0.3040
				1326	0.3160

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				1327	0.2400
				1328	0.4430
				1329	0.1900
				1330	0.1900
				1331	0.1640
				1332	0.1140
				1333	0.2280
				1334	0.0510
				1335	0.1010
				1336	0.1520
				1337	0.1260
				1339	0.3540
				1340	0.1260
				1341	0.2530
				1342	0.3920
				1343	0.2530
				योग	**17.9319**
				महा योग	**189.7622**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***
अनुसूची-'क' में उल्लिखित भूमि के अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।					

टिप्पणी:- अर्जन के प्रयोजनार्थ उक्त भूमि का नक्शा कलैक्टर, जिला गौतमबुद्ध नगर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
(एस0पी0 गोयल)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा लोक प्रयोजन अर्थात् ''नौएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-1) हेतु भूमि के अर्जन से विस्थापित कुटुम्बों के व्यवस्थापन क्षेत्र की परियोजना (पीएएफएस)'' के लिए जिला गौतमबुद्धनगर, तहसील जेवर, परगना जेवर ग्राम जेवर बांगर, सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, तिरथली, धनपुरा, व मेंहदीपुर बांगर की 189.7622 हेक्टे0 भूमि के लिए प्रकाशित प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-106/2024/2050/छप्पन-2024-31/2016(स्टेज-2)ए लखनऊ दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत है-

प्रश्नगत परियोजना के लिए अर्जन हेतु प्रस्तावित 07 ग्रामों (जेवर बांगर, सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, धनपुरा, मेंहदीपुर बांगर व तिरथली) की भूमि के अर्जन से लगभग **2503** कुटुम्ब प्रभावित होंगे तथा किसी भी कुटुम्ब का विस्थापन प्रश्नगत भूमि के अर्जन से नहीं होगा। प्रभावित कुटुम्बों के लिए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) प्रारूप स्कीम का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (R&R) प्रारूप स्कीम के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं-

- नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज़-2, फेज़-1) की परियोजना हेतु 06 ग्रामों (करौली बांगर, दयानतपुर, कुरैब, रन्हैरा, मुढरह व बीरमपुर) की अर्जित भूमि के प्रभावित कुटुम्बों की भांति ही स्थापन क्षेत्र से आच्छादित ग्राम- जेवर बांगर, सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर, फलैदा बांगर, करौली बांगर, धनपुरा, मेंहदीपुर बांगर व तिरथली की भूमि के अर्जन से प्रभावित कुटुम्बों को नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर परियोजना में सृजित होने वाले रोजगारों में प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को विभिन्न संस्थाओं (सरकारी एवं गैर-सरकारी) के माध्यम से आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए यथासंभव योग्यतानुसार अनिवार्य रूप से प्राथमिकता देते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) कम्पनी/परियोजना निष्पादन एजेंसी द्वारा प्रभावित कुटुम्बों के एक सदस्य को रोजगार दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

  या

  रोजगार न उपलब्ध होने की दशा में प्रति प्रभावित कुटुम्ब को 5.00 लाख रू0 एक ही बार में एक मुश्त

  या

  वार्षिक नितियां जो कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्त कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार 20 वर्ष तक प्रति कुटुम्ब जो दो हजार रू0 प्रतिमाह से कम नहीं होगी, दी जायेगी।

- पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रारूप स्कीम के ड्राफ्ट पर लोक सुनवाई के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा ग्राम जेवर बांगर व सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर के कतिपय किसानों द्वारा लोक सुनवाई में प्रतिभाग करते हुए कथन किया कि प्रश्नगत परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि में उनकी आबादी बनी हुई है तथा वे अपने पशुओं सहित उसमें निवास कर रहे हैं। इस संबंध में उनके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लिखित आवेदन भी प्रस्तुत करते हुए भूमि को अर्जन से मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा धारा-11 की अधिसूचना से पूर्व कराये गये भौतिक सर्वेक्षण के प्रारूप-11 का अवलोकन किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि आपत्तिकर्ता द्वारा प्राप्त कराये गये आवेदनों में उल्लिखित खसरा नम्बरानों में निर्माण दर्शित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत परियोजना हेतु अर्जन हेतु प्रस्तावित ग्राम जेवर बांगर व सादुल्लापुर उर्फ मॉडलपुर में ऐसे आवासीय निर्माण जो 10 वर्ष से अधिक पुराने हैं तथा संबंधित भवन स्वामी उसमें 10 वर्ष से अधिक से निवासरत हैं तथा उसके पास इसके अतिरिक्त अन्य कोई आवासीय इकाई/प्लाट उपलब्ध न होने

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की दशा में इन्हें विकसित किये जाने वाले स्थापन क्षेत्र में उनकी आबादी के रूप में प्रयोग क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत आवासीय भूखण्ड जो न्यूनतम 50 वर्गमीटर व अधिकतम 500 वर्गमीटर की सीमा के अन्दर होगा, उपलब्ध कराये जाने का जांचोपरान्त निर्णय लिया जायेगा। ऐसे प्रकरणों में आबादी भूमि का प्रतिकर देय नहीं होगा।

- ❖ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) कम्पनी/परियोजना निष्पादन एजेंसी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में ईंट, बालू, सीमेंट, मिट्टी, भूमि को समतल करने सम्बन्धी कार्य इत्यादि तथा परिवहन आदि में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों की आपूर्ति हेतु प्रभावित क्षेत्र के प्रभावित कुटुम्बों के ट्रेक्टर, ट्राली, ट्रक, कार, जीप आदि उपकरणों/वाहनो के गुणवत्तापूर्ण मानक के अनुसार उपलब्ध होने की दशा में आपूर्ति करने हेतु प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि प्रभावित क्षेत्र में अर्जन के फलस्वरूप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार एवं अवसर इत्यादि से प्रभावित होने वाले परिवारों हेतु रोजगार का सृजन हो सके और उन्हें अवसर उपलब्ध रहे। यदि प्रभावित क्षेत्र में उक्त आपूर्ति निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं की जा पा रही हो, तभी अन्य विकल्पों पर विचार किया जाए।
- ❖ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) कम्पनी/परियोजना निष्पादन एजेंसी द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि प्रश्नगत परियोजना से प्रभावित परिवारों एवं उनके सदस्यों को एक ऐसा परिचय पत्र जारी किया जाए जिसमें उनके परियोजना से प्रभावित परिवार होने के उल्लेख के साथ-साथ शासकीय/अर्ध शासकीय/निजी/व्यावसायिक/वाणिज्यिक/संस्थागत आदि क्षेत्रों में दी जाने वाली सुविधाएं/प्राथमिकताओं का स्पष्ट उल्लेख हो, जिससे कि परियोजना से प्रभावित परिवार एवं उनके सदस्य उक्त क्षेत्रों द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों का लाभ प्राप्त कर सके और उनका जीवन स्तर निर्धारित मानकों के अनुरूप बना रहे।

- ❖ प्रश्नगत परियोजना में सृजित होने वाले रोजगारों में रोजगार के विकल्प का चयन करने वाले परियोजना से प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को विभिन्न संस्थाओं (सरकारी एवं गैर-सरकारी) (NGO) के माध्यम से एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को कौशल विकास हेतु CSR के अर्न्तगत आवश्यक कौशल और प्रशिक्षण प्रदान कराते हुए यथासंभव योग्यतानुसार अनिवार्य रूप से प्राथमिकता देते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (NIAL) कम्पनी/परियोजना निष्पादन एजेंसी द्वारा प्रभावित कुटुम्बों के एक सदस्य को रोजगार दिये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- ❖ चूंकि उपरोक्त 07 ग्रामों की भूमि को नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, जेवर के विस्तारीकरण की परियोजना हेतु भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बों के स्थापन क्षेत्र के रूप में अधिग्रहीत किया जा रहा है, इसलिये इन ग्रामों/स्थापन क्षेत्र में बनाये जाने वाले जन-सुविधा केन्द्रों के संचालन के लिये आवंटन में एवं अन्य ऐसे केन्द्रों में आवश्यकतानुसार दिव्यांग सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान किये जाने का दायित्व भी सम्बन्धित विभाग सुनिश्चित करेगा।
- ❖ प्रभावित भू-स्वामियों की भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन एवं भुगतान अधिनियम-2013 (*RFCTLARR Act 2013*) में निहित प्राविधान के अनुसार कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा दिया जायेगा।
- ❖ प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब को पुनर्व्यवस्थापन भत्ते के रूप में 50,000.00 रुपये की धनराशि एकमुश्त एक बार में दी जायेगी।
- ❖ इसके अतिरिक्त अन्य सुविधाएं जो भूमि अर्जन अधिनियम-2013 की विभिन्न धाराओं एवं अनुसूची-2 में वर्णित हो।

आज्ञा से
कलेक्टर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
NAGARIK UDDAYAN ANUBHAG

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 47/2025/542/chhappan-2025-31/2016(Stage-2), Dated 02 May, 2025.

NOTIFICATION

No.47/2025/542/chhappan-2025-31/2016(Stage-2)

Lucknow: Dated: 02 May, 2025.

Whereas, Preliminary Notification No. 106/2024/2050/Chhapan-2024-31/2016 (Stage-2)A Lucknow dated 30th December, 2024 was issued under sub-section (1) of Section 11 of the "The Right to Fair Compensation And Transparency in Rehabilitation And Resettlement Act, 2013" for acquisition of **189.7622** hectares of land in villages Jewar Bangar; Sadullapur urf Madalpur; Falaida Bangar; Karoli Bangar; Tirthali; Dhanpura & Mahndipur Bangar, Pargana Jewar, Tehsil Jewar, District Gautam Buddha Nagar, which is required for public purpose, namely **"Project of Settlement Area for Displaced Families (PAFs)" whose land has been acquired for the development of Noida International Airport Jewar expansion Project (Stage-2/Phase-1)** through the Civil Aviation Department, Government of Uttar Pradesh via the Nodal Agency, Yamuna Expressway Industrial Development Authority and lastly published on 3rd January, 2025, wherein Deputy Collector, Jewar was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

Hence, after considering the report of the Collector submitted in pursuance of provision under sub-section (2) of Section 15 of the said Act, the Governor is pleased to declare under Sub Section (1) of Section 19 of the said Act that she is satisfied that the area of the land mentioned in this given Schedule "A" below is needed for the above mentioned public purpose.

The Governor is further pleased under sub-section (2) of Section 19 of the said Act, to direct the Collector of District Gautam Buddha Nagar to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The Summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A
(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA TO BE ACQUIRED (IN HECTARES)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Gautambuddha Nagar	**Jewar**	**Jewar**	**Jewar Bangar**	212	0.0940
				213	0.1510
				214	0.2760
				215	0.3500
				216	0.4520
				217	0.5400
				218	0.3390
				221	1.1000
				224	1.1076
				225	1.0024
				344	0.6250
				345	0.3620
				346	0.3540
				347	0.3530
				348	0.0660
				349	0.0260
				350	0.0220
				351	0.0336
				354	0.9950
				355	0.9850
				357	0.6000
				371	0.2100
				372	0.0500
				373	0.0700
				374	1.2900
				376	0.2010
				377	0.2010
				378	0.2010
				379	0.2010
				380	0.1720
				381	0.1700
				382	0.0860
				383	0.1500
				384	0.2000
				398	0.0840
				Total	**13.1196**
Gautambuddha Nagar	**Jewar**	**Jewar**	**Sadullapur urf Madalpur**	36	0.9000
				37	1.8360
				39	1.0180
				42	1.7170
				43	1.5110
				44	4.2400
				47	1.2360

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				48	0.7170
				49	1.1520
				51	0.7566
				54	0.5524
				55	0.3100
				56	0.6100
				57	0.6100
				58	4.5300
				59	2.7370
				62	0.7270
				63	2.0740
				64	1.7200
				65	1.8330
				66	1.0920
				69	1.4350
				71	1.7120
				73	3.0000
				74	0.0760
				75	2.5645
				78	2.1370
				79	0.7650
				81	2.4020
				110	0.5500
				112	0.3540
				114	2.2350
				116	1.3000
				117	0.7550
				119	1.0090
				120	0.6580
				121	0.3570
				123	0.3260
				124	1.6760
				125	0.7870
				126	1.6570
				128	3.8070
				129	2.0390
				Total	**63.4805**
Gautambuddha Nagar	**Jewar**	**Jewar**	**Falaida Bangar**	442/1	0.0590
				442/2	0.0590
				442/3	0.0590
				443	0.4220
				462	0.4830
				465	0.4580
				466	0.4670

http://shasanadesh.up.gov.in

				467	0.0760
				469	0.7540
				470	0.5730
				472	0.6850
				474	0.5690
				475	0.0690
				477	0.1760
				478	0.3260
				479	0.0980
				481	0.8210
				483/2	0.8110
				483/3	1.0640
				483/5	1.0640
				483/6	0.2530
				483/4/1	0.5320
				483/4/2	0.5320
				483/1/7	1.0650
				484	0.6610
				487	0.4410
				492	0.0140
				493	0.1770
				494	1.1570
				495	0.3600
				496	0.3600
				499	0.7600
				501	0.3860
				503	0.3870
				504	0.4700
				Total	**16.6480**
Gautambuddha Nagar	**Jewar**	**Jewar**	**Karoli Bangar**	1	2.0520
				2kh	0.2150
				5	1.2330
				6	0.3098
				9ka	0.4390
				9kh	1.6345
				12	3.2230
				13	0.5780
				14	2.5370
				15	0.1520
				20	3.6080
				29	0.4290
				32	0.2840
				34	0.2680
				36	0.1650

http://shasanadesh.up.gov.in

				37	0.1660
				41 mi	0.4013
				42 mi	1.1842
				43 mi	0.3375
				46 mi	0.7512
				47	0.9470
				48	0.6800
				50	2.1340
				51	1.3610
				52	2.0100
				53	0.9610
				55 mi	0.0440
				56 mi	1.0808
				57	0.6180
				58	1.2940
				59	2.6860
				63	1.0000
				67 mi	0.0195
				68ba/1	0.6920
				102	0.0470
				Total	**35.5418**
Gautambuddha Nagar	**Jewar**	**Jewar**	**Tirthali**	222mi	0.2380
				224	0.2020
				Total	**0.4400**
Gautambuddha Nagar	**Jewar**	**Jewar**	**Dhanpura**	36	0.0860
				37	0.0800
				38	0.1250
				39	0.1720
				40	0.0890
				41	0.4440
				42	0.4100
				44M	0.5060
				45	0.0860
				46/1	0.0610
				46/3	0.0200
				47	0.1770
				48	0.4270
				49	0.3380
				50	0.1920
				66M	1.4340
				67	0.4560
				70	1.2190
				86	0.2870

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				88/162	0.1800
				88M	0.3470
				90	0.8130
				94	0.5660
				95	0.3640
				96	0.9200
				97	0.0770
				98	0.3460
				99	0.4540
				101	0.2149
				103	1.9214
				104	0.0950
				105	0.3430
				106	0.4470
				107	0.5110
				108	0.5160
				109	0.3470
				110	2.7650
				112	1.5220
				113	1.5220
				114	0.9610
				115	0.3670
				117	3.2140
				118	2.7640
				120	0.6040
				122	0.3710
				123	1.0470
				125	0.2620
				126	0.2620
				127	0.2630
				128	0.2630
				130	0.4490
				131	0.9240
				132	0.0060
				133	0.4250
				135	0.9110
				136	0.4650
				137	1.8160
				149	0.0811
				152	0.1637
				153	0.1260
				155	1.2641
				157	1.9588
				159	1.4854
				161	1.2670

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				Total	**42.6004**
Gautambuddha Nagar	**Jewar**	**Jewar**	**Mahndipur Bangar**	883	0.0695
				885	0.1710
				886	0.4170
				1068	0.2170
				1070	0.0945
				1071	0.1140
				1072	0.1390
				1073	0.0890
				1074	0.3920
				1075	0.3790
				1076	0.2280
				1077	0.1140
				1078	0.1770
				1079	0.2910
				1080	0.3290
				1081	0.3540
				1082	0.0885
				1088	0.1770
				1094	0.2180
				1095	0.2040
				1096	0.2530
				1097	0.1455
				1098	0.4940
				1099	0.4300
				1100	0.4300
				1101	0.3160
				1102	0.3670
				1103	0.3540
				1104	0.5440
				1105	0.3540
				1106	0.4050
				1107	0.4430
				1108	0.5170
				1109	0.4680
				1110	0.1960
				1111	0.3160
				1112	0.2730
				1113	0.2530
				1114	0.2400
				1115	0.0820
				1116	0.0890
				1117	0.1010
				1118	0.3680

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

				1138	0.1390
				1142	0.5310
				1143	0.1520
				1320	0.2780
				1321	0.3119
				1323	0.4170
				1324	0.4050
				1325	0.3040
				1326	0.3160
				1327	0.2400
				1328	0.4430
				1329	0.1900
				1330	0.1900
				1331	0.1640
				1332	0.1140
				1333	0.2280
				1334	0.0510
				1335	0.1010
				1336	0.1520
				1337	0.1260
				1339	0.3540
				1340	0.1260
				1341	0.2530
				1342	0.3920
				1343	0.2530
				Total	**17.9319**
				Sub Total	**189.7622**

SCHEDULE-B

(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

DISTRICT	TEHSIL	PARGANA	VILLAGE	PLOT NO.	AREA EARMARKED FOR REHABILITATION (IN HECTARES)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
No family is getting displaced by the acquisition of land mentioned in Schedule-'A'.					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector, District Gautam Buddha Nagar for the purpose of acquisition.

By order,
(S.P. Goyal)
Additional Chief Secretary

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

By the order of declaration made under Government Notification No. 106/2024/2050/Chhapan-2024-31/ 2016(Stage-2)A Lucknow dated 30 December, 2024 for 189.7622 hectare of land in villages Jewar Bangar, Sadullapur urf Madalpur, Falaida Bangar, Karoli Bangar, Tirthali, Dhanpura, Mahndipur Bangar, Pargana Jewar, Tehsil Jewar, district Gautambuddh Nagar is required for public purpose project namely **"Project of Settlement for Families Displaced from areas acquired for the development of Noida International Airport Jewar expansion project (Stage-2/Phase-1)"** through Civil Aviation Department, Government of Uttar Pradesh. I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

For the said project total 189.7622 hect. of land is to be propsed for acquire in villages Jewar Bangar, Sadullapur urf Madalpur, Falaida Bangar, Karoli Bangar, Tirthali, Dhanpura, Mahndipur Bangar, Pargana Jewar, Tehsil Jewar, district Gautambuddh Nagar in which around 2503 families are expected to be affected because of this acquisition and no family will be displaced in said acquisition. For the Project affected families rehabilitation and resettlement scheme has been prepared. The silent fetures of rehabilitation and resettlement scheme are as follows-

- For Noida International Airport, Jewar expention (Stage-2/Phase-1) Project land was acquired in Six Villages (Karoli Bangar, Dayanatpur, Kuraib, Ranhera, Mundrah & Beerampur) Just like provisions were made for the project affected families in these six villages similarly provisions will be made for families affected due to the present land acquisition in villages Jewar Bangar, Sadullapur urf Madalpur, Falaida Bangar, Karoli Bangar, Tirthali, Dhanpura, Mahndipur Bangar area, like that skill development training is to be provided through various Government and non-Government Agencies (NGOs). Noida International Airport Limited (NAIL)/Project Executing Agency shall implement such skill development trainings and will make efforts to provide job, as far as possible, to one member of each affected family in the project.

(OR)

One time payment of five lakhs rupees per affected family if jobs are not available;

(OR)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Annuity policies that shall pay not less than two thousand rupees per month per family for twenty years, with appropriate indexation to the Consumer Price Index for Agricultural Labourers.

- During the public hearing on the draft of Rehabilitation and Resettlement Scheme, some farmers of village Jewar Bangar & Sadullapur urf Madalpur while participating in the public hearing, stated that they are residing along with their family has animals on the land proposed for the project. In this regard, they also submitted a written application to the undersigned and requested to leave the land from acquisition. After observed Form-11 of the physical survey conducted before the notification of Section-11 from which it is clear that construction is shown in the Khasra numbers mentioned in the applications received by the objector. In such a situation, in the villages Jewar Bangar & Sadullapur urf Madalpur proposed for acquisition for the said project, such residential constructions which are more than 10 years old and the concerned building owner is residing in it for more than 10 years and in case they does not have any other residential house/plot, then a decision will be taken after investigation to provide them 50 percent of the area used as residential purpose within the limit of minimum 50 square meter and maximum 500 square meter for their families in the establishment area to be developed. In such cases, compensation for residential land will not be payable.

- In case, the construction material such as bricks, cement, sand, machines etc. and vehicles for transportation such as tractor, truck, cars, jeeps etc needed in the construction of the airport is provided by those who are from project affected families and are as per the laid down standards then Noida International Airport Limited (NIAL)/Project Executing Agency will give preference to them so that either directly or indirectly jobs are provided to those who are from affected families. If the equipment and materials so provided from the affected families are not as per the set standards then only the other options shall be taken into consideration.

- Noida International Airport Limited (NIAL)/Project Executing Agency should also ensure that affected families and members are provided with identity cards mentioning them as project affected families and in addition mention facilities in Govt./Semi Govt./Private/Commercial/Business/Institutional arrangements that these families are entitled to, so that the families can maintain a decent standard of living as per the set standards.

- Various kind of jobs are expected to be created from the proposed project. Necessary skills and training under CSR activity for skill development of the

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

project affected families through various organizations (government and non-government) (NGO), While giving priority as far as possible, the Noida International Airport Limited (NIAL) Company / Project Execution Agency will make arrangements to provide employment to a member of the affected families who choose the option of employment in the jobs to be created in the project in question.

- Since the land in above 07 Villages is proposed to be used for public purpose project namely "Project of Settlement for Families Displaced from areas acquired for the development of Noida International Airport Jewar expansion project (Stage-2/Phase-1)", therefore, It has to be ensured that in the rehabilitated area for operation and allotment of Common Service Centres or other such centres, differently abled people are to be given preference and the concerned department should be the responsible agency for getting this implemented.

- The valuation of assets of the displaced families apart from the valuation of their covered area will be done according to the provisions enshrined in *RFCTLARR ACT 2013* and the same will be awarded by the Collector.

- Each affected family shall be given a one-time Resettlement Allowance of fifty thousand rupees only.

- Apart from this, other facilities as provided in various sections and schedule-2 of the Land Acquisition Act-2013 are also to be provided to the project affected families.

By order
Collector

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।